

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
परिशोधन प्रार्थना पत्र संख्या 84 व 85 / 2013.....जिला.....जोधपुर.....

उन्हें ~~सीटीओ~~ वृत्त-सी जोधपुर बनाम कंसारा मोडलर्स बासनी, जोधपुर।

<p>तारीख हुक्म</p> <p>30.03.2015</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज</p> <p style="text-align: center;"><u>खण्डपीठ</u> <u>श्री मनोहरपुरी – सदस्य</u> <u>श्रीमती आशा कुमारी – सदस्य</u></p> <p>परिशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्ता मै 0 कंसारा मोडलर्स, अनुपरिथित, विभाग की ओर से श्री डी पी औझा उपराजकीय अभिभाषक उपस्थित।</p> <p>अपीलार्थी द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना-पत्र पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमें अभिभाषक ने निवेदन किया कि विचाराधीन प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र संख्या एफ/12(16)एफडी/कर/ 2009-188 दिनांक 09.02.2015 का लाभ लेना चाहते हैं, इस हेतु प्रकरण वापस लेना (Withdraw) करना चाहते हैं।</p> <p>इस पर विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने प्रत्युत परिशोधन प्रार्थना पत्र को विद्वा करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की गयी।</p> <p>फलस्वरूप परिधोधन प्रार्थना पत्र प्रत्युतकर्ता मै 0 कंसारा मोडलर्स, बासनी के पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र के आधार पर हस्तगत प्रार्थना पत्र विद्वा करने की अनुमति दी जाती है। अतः प्रत्युत प्रार्थना पत्र जरिए विद्वा खारीज की जाती है।</p> <p>आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">30.3.15 (आशा कुमारी) सदस्य</p> <p style="text-align: right;">मनोहर पुरी सदस्य</p>	<p>नग्बर व त अहकाम ज हुक्म की त में जारी</p>
---	--	--